

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० फवलंगी
 आदेश पत्र के राजस्व में जांच की गई। जिसके अनुसार ग्राम फवलंगी में जालु जमावदी संवत् 2075-78
 के मुताबिक प्राप्ति का नाम अम्बोसिंह पु. मूलक दर्ज है। जबकि प्राप्ति द्वारा देय दरतावेजी में प्राप्ति
 का नाम अम्बोसिंह पु. मूलक दर्ज है। अतः प्राप्ति के दरतावेजी के आधार पर नाम (अम्बोसिंह, पहचान पत्र)
 दुरुस्त है। उचित आदेशों के तहत प्रस्तावित है।

सर्वपत्र
 ग्राम पंचायत-पधलगी
 पं.स. उदयपुरवादी (गुढागौड़जी)
 पंचायतलय तहसीलदार, उदयपुरवादी/गुढागौड़जी
 दिनांक :-

अधिकारी महोदय, उदयपुरवादी को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश पत्र में वर्धितानुसार आदेश पत्र
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आदेशक का नाम अम्बोसिंह पु. मूलक दर्ज होने की अनिश्चय की जाती है।

उक्त नाम ज्ञाना उचित है।

प्रशासन गावों के संग अभियान 202

तहसीलदार, उदयपुरवादी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवादी जिला बुन्देलखण्ड (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी सालों एवं तहसीलदार (उदयपुरवादी/गुढागौड़जी) की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 के अन्तर्गत निम्नलिखित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवादी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	फवलंगी	2075 - 2078	39	अम्बोसिंह पु. मूलक	अम्बोसिंह पु. मूलक

नोट :-शेष पृथिवियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय को पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी
 दिनांक :- 15/12/21

क्रमिक :- राजस्व/2020/2286
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवादी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी